

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-22/13

300

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 30-3-14

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-70-ई गवर्नेंस, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59 अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में निधि का आवंटन।

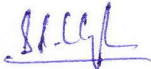
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग / 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य / 796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना	70-ई-गवर्नेंस, 07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49P470180796700759	0.00	

शुद्ध आवंटित राशि - ₹ शून्य

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध रु. 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/378/09 पार्ट-II-75/13-14 प्र. स्वी., राँची, दिनांक: 19.02.2014 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

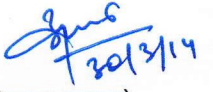

(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त



(अविनाश कुमार)

सचिव

ज्ञापांक :-

300

राँची, दिनांक :-

30-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त



(अविनाश कुमार)

सचिव

ज्ञापांक :-

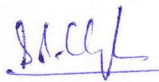
300

राँची, दिनांक :-

30-3-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक :- २६०

दिनांक :- ३०-३-१७

परिशिष्ट :- १

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष -70-ई. गावर्नेस,

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय, 49P470180796700759

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		कार्य का विवरण	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन						अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग			पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	गुण नियंत्रण प्रमंडल संचाली	संचाली	E-Governance के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत प्रशाखा प्रभारी एवं सहायकों हेतु कम्प्यूटर एवं स्कैनर का क्रय हेतु	10.35	1/पी.एम.सी./विविध/816/2013/41/13-14 प्र.स्वी. संचाली दिनांक 10.10.2013	श्री अखेश कुमार शर्मा, अवर सचिव, प्रशाखा प्रभारी -5/श्री संजय शरण, अवर सचिव, प्रशाखा प्रभारी -6 एवं 8/श्री ब्रह्मदेव मोदी, प्रशाखा प्रभारी -14/श्री संजय सिंह, प्रशाखा प्रभारी -3/श्री दीपक कुमार तिवारी, सहायक प्रशाखा -1/श्री अनुराग रवि कुजुर, सहायक प्रशाखा -2/श्री महेंद्र टोप्पो, सहायक प्रशाखा -3/श्री रमा कान्त मुंडा, सहायक प्रशाखा -4/श्री हीरा लाल महतो, सहायक प्रशाखा -5/श्री अजुल तिकी, सहायक प्रशाखा -6/श्री वैद्यनाथ झा, अवर सचिव प्रभारी 'ए' के।डी कोषाग/सुश्री अनमिका वा. सहायक प्रशाखा-1/सुश्री श्वेता निशा मिश्र, सहायक प्रशाखा-2/श्री इंदर नेमरा, सहायक प्रशाखा-3/सुश्री कुमारी रश्मी मिश्रा, सहायक प्रशाखा-4/सुश्री गायत्री बेसरा, सहायक शाखा-5/श्री अमित कुमार, सहायक प्रशाखा -6/श्री डब्लू. कुमार गुप्ता, सहायक प्रशाखा -7/सुश्री मेरी मिताली सुर्, सहायक प्रशाखा-8/सुश्री स्वाती प्रिया, सहायक प्रशाखा-8/सुश्री ममता झरना एवका, सहायक प्रशाखा-9/श्री विनय कुमार टोप्पो, सहायक प्रशाखा-10/श्री शशी मुखर्षेक हुसैन, सहायक प्रशाखा-11/सुश्री रूबी कच्छप, सहायक प्रशाखा-13/श्री पप्पू कुमार, सहायक प्रशाखा-14	0.00	10.35	10.35	0.00	-10.35	0.00		
2	योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 संचाली	संचाली		10.35			0.000	0.00	0.00	10.35	10.35	10.35		
योग								10.35	10.35	10.35	0.00	10.35		

शुद्ध आवंटित राशि - ₹ शून्य

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(मुखि साधन वौरसिया)

उप सचिव(अभि०)

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)

सचिव